



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 2011/भाद्र 12, 1933

No. 492]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 2011/BHADRA 12, 1933

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 660(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श करने के उपरान्त भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 (इसके बाद मुख्य नियमों के रूप में संदर्भित) में नियम 4 में उप-नियम (i) में खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ख) सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(ग) किसी राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।”

3. मुख्य नियमों में, नियम 7 के बाद निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“8. सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती—(1) इस सेवा में भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अर्हदालों पर आयोजित की जाएगी जो केन्द्र सरकार समय-समय पर आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित करेगी।

(2) यह परीक्षा आयोग द्वारा ऐसे विनियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी जो केन्द्र सरकार समय-समय पर आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से बनाएंगी।

(3) इस सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर जारी आदेश की शर्त के अधीन होगी।

(4) प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा इस सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जाएगा :

बशर्ते कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी और इस सेवा के लिए नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जाएगा, यदि वे आरक्षण के लाभ का सहारा किए बिना अपनी मेरिट के आधार पर

सेवा में नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त करते हैं।”

[फा. सं. 13018/8/2010-अ.भा.से.-I(भाग)]

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य निम्न अधिसूचना संख्या 3/4/54-अ.भा.से.-II दिनांक 8-9-1954 द्वारा अधिसूचित किए गए और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

1. अधिसूचना संख्या 13/07/56-अ.भा.से. (III) दिनांक 25-04-1957
2. अधिसूचना संख्या 13/40/57-अ.भा.से. (III) दिनांक 27-12-1957
3. अधिसूचना संख्या 13/21/56-अ.भा.से. (III) दिनांक 28-02-1958
4. अधिसूचना संख्या 13/10/57-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 29-07-1958
5. अधिसूचना संख्या 05/25/58-अ.भा.से. (II) दिनांक 8-07-1959
6. अधिसूचना संख्या 05/44/58-अ.भा.से. (II) दिनांक 10-10-1959
7. अधिसूचना संख्या 05/44/58-अ.भा.से. (II)-क दिनांक 28-10-1959
8. अधिसूचना संख्या 27/68/64-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 15-10-1965
9. अधिसूचना संख्या 17/04/56-अ.भा.से. (III) दिनांक 14-05-1966
10. अधिसूचना संख्या 14/48/65-अ.भा.से. (III) दिनांक 28-06-1966
11. अधिसूचना संख्या 23/46/63-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 13-09-1966
12. अधिसूचना संख्या 01/02/66-अ.भा.से. (I) दिनांक 01-10-1966
13. अधिसूचना संख्या 13/03/70-अ.भा.से. (I) दिनांक 29-12-1967
14. अधिसूचना संख्या 13/01/67-अ.भा.से. (I) दिनांक 04-01-1968
15. अधिसूचना संख्या 01/02/67-अ.भा.से. (I)-क दिनांक 11-03-1968
16. अधिसूचना संख्या 01/01/66-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 12-08-1968
17. अधिसूचना संख्या 18/18/68-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 27-09-1968
18. अधिसूचना संख्या 12/06/68-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 05-02-1969
19. अधिसूचना संख्या 13/03/70-अ.भा.से. (I) दिनांक 30-06-1970
20. अधिसूचना संख्या 01/01/71-अ.भा.से. (I) दिनांक 06-03-1971
21. अधिसूचना संख्या 12/02/69-अ.भा.से. (III)-क दिनांक 13-04-1971
22. अधिसूचना संख्या 01/03/71-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 26-06-1971
23. अधिसूचना संख्या 13/04/71-अ.भा.से. (I) दिनांक 11-01-1972
24. अधिसूचना संख्या 11/14/71-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 18-04-1972
25. अधिसूचना संख्या 10/50/72-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 11-10-1972
26. अधिसूचना संख्या 11/01/72-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 16-03-1973
27. अधिसूचना संख्या 01/06/72-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 09-05-1973
28. अधिसूचना संख्या 31/07/72-अ.भा.से. (III) दिनांक 22-05-1973
29. अधिसूचना संख्या 11/02/73-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 12-09-1973
30. अधिसूचना संख्या 11/05/73-अ.भा.से. (I)-ग दिनांक 06-07-1974
31. अधिसूचना संख्या 07/01/73-अ.भा.से. (II) दिनांक 04-01-1975
32. अधिसूचना संख्या 11/01/74-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 18-02-1975
33. अधिसूचना संख्या 11039/10/75-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 20-03-1976
34. अधिसूचना संख्या 11027/01/75-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 29-06-1976
35. अधिसूचना संख्या 11039/07/76-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 15-11-1976
36. अधिसूचना संख्या 11039/06/76-अ.भा.से. (I)-क दिनांक 11-04-1977
37. अधिसूचना संख्या 11039/02/77-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 05-07-1977
38. अधिसूचना संख्या 11027/01/76-अ.भा.से. (I)-ख दिनांक 10-07-1977
39. अधिसूचना संख्या 11039/02/77-अ.भा.से. (I) दिनांक 20-07-1977

40. अधिसूचना संख्या 11027/01/79-अ.भा.से (1)  
दिनांक 13-09-1979
41. अधिसूचना संख्या 14015/39/58-अ.भा.से (1)  
दिनांक 30-12-1987
42. अधिसूचना संख्या 11027/01/86-अ.भा.से (1)  
दिनांक 22-03-1988
43. अधिसूचना संख्या 13013/01/89-अ.भा.से (1)  
दिनांक 26-01-1989
44. अधिसूचना संख्या 14015/07/87-अ.भा.से  
(1)-ख दिनांक 15-05-1990
45. अधिसूचना संख्या 14015/01/92-अ.भा.से.  
(1)-ख दिनांक 11-12-1992
46. अधिसूचना संख्या 14015/25/92-अ.भा.से.  
(1)-ख दिनांक 06-05-1994
47. अधिसूचना संख्या 14015/02/97-अ.भा.से  
(1)-ख दिनांक 14-08-1997
48. अधिसूचना संख्या 14015/51/96-अ.भा.से.  
(1)-ख दिनांक 31-12-1997

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2011

**G.S.R. 660(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments concerned hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Recruitment) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come in to force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1), for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(b) by limited competitive examination;

(c) by promotion of members of a State Police Service.”

3. In the principal rules, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—

“8. Recruitment by limited competitive examination.—(1) The limited competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals as the Central Government may, in consultation with the Commission, from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such regulations as the Central Government may from time to time make in consultation with the Commission and the State Governments.

(3) Appointments to the Service shall be subject to order regarding special representation in the Service for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes issued by the Central Government from time to time in consultation with the State Governments.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be:

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes and declared by the Commission to be suitable for appointment to the service shall be appointed against unreserved vacancies, in case they qualify for appointment to the Service based on their merit without recourse to the benefit of reservation.”

[F.No. 13018/E/2010-AIS-I (Pt.)]

S. S. SHUKLA, Under Secy.

**Foot Note:—**The Principal Rules were notified *vide* Notification No. 3/4/54-AIS(II), dated 08-09-1954 and amended *vide* :—

1. Notification No. 13/07/56-AIS (III) dated 25-04-1957
2. Notification No. 13/40/57-AIS (III) dated 27-12-1957
3. Notification No. 13/21/56-AIS (III) dated 28-02-1958
4. Notification No. 13/10/57-AIS (III)-A dated 29-07-1958
5. Notification No. 05/25/58-AIS (II) dated 08-07-1959
6. Notification No. 05/44/58-AIS (II) dated 10-10-1959
7. Notification No. 05/44/58-AIS (II)-A dated 28-10-1959
8. Notification No. 27/68/64-AIS (III)-A dated 15-10-1965
9. Notification No. 17/04/56-AIS(III) dated 14-05-1966
10. Notification No. 14/48/65-AIS (III) dated 28-06-1966